न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 07/2020

बउनवान

श्रीमति चन्द्रकान्ती बाई पुत्री श्री नन्दा पत्नि गोरधन उम्र 49 वर्ष जाति माली, निवासी गणेश जी का मौहल्ला ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मथुरा जाति माली निवासी ग्राम कोयला, तहसील बारां, जिला बारां
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील बारां जिला बारां (राज0)

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 1548 दिनांक 25.11.2011 न्यायालय तहसीलदार, बारां अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओम मेहता III एडवोकेट **(अपीलांट)**
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट **(रेंस्पो0 कम 1)**

निर्णय दिनांक 18.07.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट कम–1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बारां के समक्ष दिनांक 23.12.2010 को इस आशय का पेश किया था कि "प्रार्थी के दादा छपना जी थे जिनके तीन लड़के हीरा, गणपत, मथुरा थे, प्रार्थी मथुरा जी का लडका है तथा गणपत जी लाऔलाद फौत हो गया था तथा गणपत जी ने प्रार्थी को उसके जीवनकाल मे गोद ले लिया था तथा गणपत जी की मौत के बाद उसकी पगडी की रस्म और क्रियाक्रम एवं समस्त संस्कार प्रार्थी द्वारा ही किये गये थे इस कारण गणपत की भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय तहसीलदार बारां के द्वारा प्रकरण संख्या 38/2011 पर दर्ज किया जिस पर पटवार मण्डल कोयला के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा गवाहो के बयानात लेने के उपरान्त दिनांक 29.09.2011 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया तथा उक्त आदेश की पालनार्थ पत्र क्रमांक भू–अभिलेख/2011/7759 पटवारी हल्का को प्रेषित किया तथा उक्त पत्र पालनार्थ नामांतरण संख्या 1548 दिनांक 25.11.2011 को तस्दीक कर दिया, जिसकी अप्रसन्नता से अपील निम्न कारणो से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त आदेश विधि के सामान्य सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। आदेश दिनांक 29.09.2011 की पालना के बाबत अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय से जो पत्रांक भू.अभि./2011/7759 दिनांक 25.08.2011 को ही जारी कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.09.2011 [illegible] आदेश पारित करने के पहले ही उक्त आदेश की पालना के बाबत पत्र ज[illegible] कर [illegible]या था, अर्थात न्यायालय ने अपना न्याय का कार्य छोड कर आर्बीट्रे[illegible] है, जिसमे कि भ्रष्टाचार स्पष्ट तौर पर नजर आ [illegible] नामांतरण संख्या 1548 [illegible] 25.11.2011 काबिल निरस्तनीय है। राजस्व न्यायालय गो[illegible] वसीयत जैसे जटिल [illegible] का निस्तारण नहीं कर सकते है, इस बाबत समस्त अधिकार राजस्व न्यायालय [illegible] समाहित न होकर सिविल न्यायालय को है। इस कारण से विवादित नामांतरकरण काबिल निरस्तनीय है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक का क्रियाक्रम करने या पगडी पहनने मात्र से ही

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:05:16 IST
Reason: SelfAttested

गोद पुत्र साबित नहीं हो सकता। विधिक तथ्य के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः इंतकाल संख्या 1548 दिनांक 25.11.2011 निरस्त फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो.क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पक्षकारों की तलबी हेतु नोटिस जारी नहीं किये। बाबूलाल ने गणपत का उत्तराधिकारी होने बाबत दस्तावेज पेश नहीं किया। गवाहान ने भी अपने बयानों में गोद लेना नहीं बताया। उत्तराधिकारी तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, ग्राम पंचायत वारिसान प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 29.09.2011 को निर्णय पारित किया गया जबकि पालना हेतु पत्र दिनांक 25.08.2011 को ही जारी कर दिया। अतः इंतकाल संख्या 1548 दिनांक 25.11.2011 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने कथन किया कि अपीलांट को मिसल नंबर 38/2011 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2011 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने गणपत का गोद पुत्र माना है। गणपत ने बाल्यकाल में बाबूलाल को रखा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न गवाह आनन्दी, नन्दलाल के बयानो में गवाहान ने गोद की ताईद की है। प्रकरण से सम्बन्धित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में वाद संख्या 145/2012 बउनवान बाबूलाल बनाम धन्नालाल वगैरह जैरकार है। अपीलांट को मृतक गणपत के दत्तक पुत्र बाबूलाल के पक्ष में तहसील बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2011 व नामांतकरण संख्या 1548 दिनांक 25.11.2011 की प्रारम्भ से ही जानकारी होते हुए भी 9 वर्ष के विलम्ब का समुचित कारण एवं स्पष्टीकरण अपीलांट द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में नही दिया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त निरस्तनीय है।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम आदेश दिनांक 24.01.2023 से स्वीकार किया जा चुका है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है, जिसमें हक व अधिकारों का निस्तारण नहीं हो सकता। इसके लिये नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम कोयला तहसील बारां का नामान्तरकरण संख्या 1548 दिनांक 25.11.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन वाद प्रकरण संख्या 145/20[illegible] बाबूलाल बनाम धन्नालाल वगैरह में बाबूलाल के दत्तक पुत्र होने [illegible] नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज [illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:05:16 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)